

प्रेस नोट दिनांक- 26.12.2025

थाना कोतवाली नगर, जनपद प्रतापगढ़।

दुष्कर्म व पाक्सो एक्ट के अभियोग से संबंधित 01 वांछित अभियुक्त को थाना कोतवाली नगर पुलिस द्वारा किया गया गिरफ्तार-

पुलिस अधीक्षक, प्रतापगढ़ श्री दीपक भूकर द्वारा आपराधिक क्रिया कलाप में संलिप्त अपराधियों के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक पूर्वी श्री शैलेन्द्र लाल व सहायक पुलिस अधीक्षक/क्षेत्राधिकारी नगर श्री प्रशान्त राज के कुशल पर्वेक्षण में थाना प्रभारी कोतवाली नगर श्री सुभाष कुमार यादव के नेतृत्व में उ0नि0 संदीप तिवारी मय हमराह का० दिलीप कुमार देखभाल क्षेत्र/तलाश वारण्टी, वांछित अभियुक्त के दौरान, मुखबिर की सूचना पर अन्तर्गत धारा 75/352/351 (2) बी0एन0एस0व 7/8 पाक्सो एक्ट थाना कोतवाली नगर, प्रतापगढ़ से संबंधित 01 वांछित अभियुक्त नसीम उर्फ समीर पुत्र वाजीद अली निवासी सोनावा थाना कोतवाली नगर जनपद प्रतापगढ़ को शाही कोल्ड स्टोरेज सोनावा के पास से गिरफ्तार किया गया है।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण-

01. नसीम उर्फ समीर पुत्र वाजीद अली निवासी सोनावा थाना कोतवाली नगर जनपद प्रतापगढ़।

पुलिस टीम का विवरण-

उ0नि0 संदीप तिवारी मय हमराह का० दिलीप कुमार थाना कोतवाली नगर, जनपद प्रतापगढ़।

थाना देल्हूपुर जनपद प्रतापगढ़।

थाना देल्हूपुर पुलिस द्वारा 01 वारण्टी अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया-

पुलिस अधीक्षक प्रतापगढ़ श्री दीपक भूकर द्वारा आपराधिक क्रिया कलापों में संलिप्त अपराधियों के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के क्रम में, थाना देल्हूपुर के उ0नि0 मारकण्डेय सिंह यादव मय उ0नि0 वीरेन्द्र कुमार मय हमराह का० अतुल दूबे द्वारा जांच प्रार्थना पत्र, देखभाल क्षेत्र/तलाश वांछित वारण्टी अभियुक्त, मुखबिर की सूचना पर मु0अ0सं0 173/2011 धारा 323, 504, 506 भादवि थाना मान्धाता जनपद प्रतापगढ़ से संबंधित

वारंटी अभियुक्त विजय कुमार सिंह उर्फ गुडड पुत्र हीरा सिंह निवासी ग्राम खरवई थाना देल्हूपुर जनपद प्रतापगढ़ को उसके घर से गिरफ्तार किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण-

01.विजय कुमार सिंह उर्फ गुडड पुत्र हीरा सिंह निवासी ग्राम खरवई थाना देल्हूपुर जनपद प्रतापगढ़ उम्र करीब 37 वर्ष।

पुलिस टीम- उ0नि0 मारकण्डेय सिंह यादव मय उ0नि0 वीरेन्द्र कुमार मय हमराह का0 अतुल दूबे थाना देल्हूपुर, जनपद प्रतापगढ़।

थाना कोतवाली नगर जनपद प्रतापगढ़।

थाना कोतवाली नगर पुलिस द्वारा 01 वारण्टी अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया-

पुलिस अधीक्षक प्रतापगढ़ श्री दीपक भूकर द्वारा अपराधिक क्रिया कलापों में संलिप्त अपराधियों के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के क्रम में, थाना कोतवाली नगर के म0उ0नि0 दिपाली मय हमराह का0 मनोज कुमार, का0 सचिन कुमार द्वारा जांच प्रार्थना पत्र, देखभाल क्षेत्र/तलाश वांछित वारण्टी अभियुक्त, मुखबिर की सूचना पर केस न0-1485/2015 अ0स0-466/2013 धारा 147/323/504/506 भादवि थाना कोतवाली नगर जनपद प्रतापगढ़ से संबंधित वारंटी अभियुक्त लवकुश मोदनवाल पुत्र अशोक कुमार मोदनवाल निवासी पडाव वार्ड थाना कोतवाली नगर जनपद प्रतापगढ़ को उसके घर से गिरफ्तार किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण-

01.लवकुश मोदनवाल पुत्र अशोक कुमार मोदनवाल निवासी पडाव वार्ड थाना कोतवाली नगर जनपद प्रतापगढ़ उम्र करीब 35 वर्ष।

पुलिस टीम- म0उ0नि0 दिपाली मय हमराह का0 मनोज कुमार, का0 सचिन कुमार थाना कोतवाली नगर, जनपद प्रतापगढ़।

थाना जेठवारा, जनपद प्रतापगढ़।

चोरी के अभियोग से संबंधित 01 अभियुक्त को थाना जेठवारा पुलिस द्वारा किया गया गिरफ्तार, 02 अदद मोटरसाइकिल व नगद 340/- रुपये बरामद-

अभियुक्त को थाना जेठवारा क्षेत्रान्तर्गत कुटुलिया तिराहे के पास से गिरफ्तार किया गया-

अभियुक्त मोहित हरिजन पर दुष्कर्म, चोरी, पाक्सो एकट जैसे गंभीर मुकदमे हैं दर्ज-

घटना का संक्षिप्त विवरण-

वादी की तहरीर के आधार पर घटना दिनांक 21.11.2025 को जब वादी अपनी बुलेट मोटरसाइकिल से निजी कार्य से डेरवा बाजार गए थे। वादी द्वारा बर्तन की दुकान के सामने मोटरसाइकिल खड़ी कर सामान लेते समय किसी अज्ञात व्यक्ति द्वारा उनकी मोटरसाइकिल चोरी कर ली गई थी। इस संबंध में मु0030 276/25 धारा 303 (2) बीएनएस थाना जेठवारा प्रतापगढ़ में पंजीकृत किया गया था। मुकदमा उपरोक्त में धारा 317 (2)/317 (4) बीएनएस की बढ़ोत्तरी की गई है।

पुलिस अधीक्षक, प्रतापगढ़ श्री दीपक भूकर द्वारा आपराधिक क्रिया कलाप में संलिप्त अपराधियों के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक पश्चिमी श्री बृजनन्दन राय व क्षेत्राधिकारी सदर श्रीमती करिश्मा गुप्ता के कुशल पर्वेक्षण में थाना प्रभारी जेठवारा श्री विजय कान्त सत्यार्थी के नेतृत्व में उ0नि0 वारिज मय हमराह का0 अनुराग शुक्ला व का0 अपित त्रिपाठी द्वारा देखभाल क्षेत्र/ तलाश वारण्टी, वाछित अभियुक्त व विवेचनात्मक कार्यवाही के दौरान मु0030 276/25 धारा 303 (2)/317 (2)/317(4) बीएनएस थाना जेठवारा, प्रतापगढ़ से संबंधित 01 अभियुक्त मोहित हरिजन पुत्र सभापति निवासी हैंसी परजी थाना मांधाता जनपद प्रतापगढ़ उम्र करीब 26 वर्ष, को थाना जेठवारा क्षेत्रान्तर्गत कुटुलिया तिराहे के पास से गिरफ्तार किया गया है।

पूछताछ विवरण-

पूछताछ के दौरान अभियुक्त द्वारा बताया गया कि सीसीटीवी फुटेज में पीछे बैठा व्यक्ति वही स्वयं है तथा आगे बैठा व्यक्ति उसका साथी है। अभियुक्त ने स्वीकार किया कि दिनांक 21.11.2025 को डेरवा बाजार से दोनों ने मिलकर बुलेट मोटरसाइकिल चोरी की थी। कड़ाई से पूछताछ पर अभियुक्त ने बताया कि वह अपने साथी के साथ मिलकर आसपास के क्षेत्रों से मोटरसाइकिल चोरी कर उन्हें बेचकर अपना एवं परिवार का खर्च चलाता है तथा दोनों पूर्व में भी कई मोटरसाइकिल चोरी के मामलों में जेल जा चुके हैं। अभियुक्त ने यह भी बताया कि एक-दो चोरी की मोटरसाइकिलें अभी साथी के पास हैं। अभियुक्त मोहित से चोरी की बुलेट मोटरसाइकिल की बरामदगी के संबंध में पूछने पर उसने बताया कि बुलेट मोटरसाइकिल को गजराही से नेवादा जाने वाले मार्ग पर आम के बाग के पास घनी झाड़ियों में छिपाकर रखा गया है तथा वहीं एक अन्य चोरी की मोटरसाइकिल भी मौजूद है। अभियुक्त की निशानदेही पर पुलिस टीम उसके बताए स्थान पर पहुंची, जहां अभियुक्त द्वारा स्वयं आगे चलकर झाड़ियों से चोरी की बुलेट मोटरसाइकिल तथा एक अन्य स्प्लेंडर मोटरसाइकिल बरामद कराई गई।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण-

01. मोहित हरिजन पुत्र सभापति निवासी हैंसी परजी थाना मांधाता जनपद प्रतापगढ़ उम्र करीब 26 वर्ष।

आपराधिक इतिहास-

अभियुक्त मोहित हरिजन पुत्र सभापति निवासी हैंसी परजी थाना मांधाता जनपद प्रतापगढ़ उम्र करीब 26 वर्ष का आपराधिक इतिहास-

01. मु0अ0सं0-369/2021 धारा 411 भादवि, थाना मांधाता, जनपद प्रतापगढ़।
02. मु0अ0सं0-217/2022 धारा 363,366,376 भादवि व 3/4 पाक्सो एक्ट थाना मांधाता, जनपद प्रतापगढ़।
03. मु0अ0सं0-347/2024 धारा 3(5),305,317(2),331(4) बीएनएस थाना रानीगंज, जनपद प्रतापगढ़।
04. मु0अ0सं0 276/25 धारा 303 (2) बीएनएस थाना जेठवारा प्रतापगढ़।

बरामदगी- 02 अदद मोटरसाइकिल व नगद 340/- रुपये बरामद।

पुलिस टीम का विवरण-

उ0नि0 वारिज मय हमराह का0 अनुराग शुक्ला व का0 अर्पित त्रिपाठी थाना जेठवारा जनपद प्रतापगढ़।

थाना अन्तू जनपद प्रतापगढ़

पुलिस अधीक्षक, प्रतापगढ़ श्री दीपक भूकर के निर्देशन में थाना अन्तू पुलिस द्वारा हत्या के प्रयास के अभियोग से संबंधित 01 अभियुक्त गिरफ्तार व 01 अदद डंडा बरामद।

अभियुक्त को थाना अन्तू पुलिस द्वारा थाना क्षेत्रान्तर्गत शिवाला तिराहा से पीठीपट्टी मोड के पास से गिरफ्तार किया गया।

घटना का संक्षिप्त-

वादी द्वारा पूर्व में दर्ज मुकदमे की रंजिश को लेकर दिनांक 24.12.2025 को आरोपीगणों ने डंडा व कुल्हाड़ी से लैस होकर वादी व वादी की पत्नी पर हमला किया, जिसमें दोनों के साथ मारपीट कर जान से मारने की कोशिश की गई। इसके संबंध में थाना अन्तू पर मु0अ0सं0 414/25 धारा 191 (2)/191 (3)/109 (1)/115 (2)/352/351 (3) बीएनएस का अभियोग पंजीकृत किया गया था।

पुलिस अधीक्षक, प्रतापगढ़ श्री दीपक भूकर द्वारा आपराधिक क्रिया कलाप में संलिप्त अपराधियों के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक पूर्वी श्री शैलेन्द्र लाल व सहायक पुलिस अधीक्षक नगर/ क्षेत्राधिकारी नगर श्री प्रशान्त राज के कुशल पर्वेक्षण में थाना प्रभारी अन्तू श्री आनन्द पाल सिंह के नेतृत्व में थाना अन्तू के उ0नि0 उ0नि0 रविंद कुमार यादव मय हमराह का0 अवधेश यादव व का0 अंकित यादव, का0 कन्हैया विश्वकर्मा द्वारा देखभाल क्षेत्र/ तलाश वांछित, वारण्टी अभियुक्त व संदिग्ध व्यक्तियों, वाहनों की

चेकिंग के दौरान मुखबिर की सूचना पर मु0अ0सं0 414/25 धारा 191 (2)/191 (3)/109 (1)/115 (2)/352/351 (3) बीएनएस थाना अन्तू जनपद प्रतापगढ़ से संबंधित 01 अभियुक्त, जवाहर लाल विश्वकर्मा पुत्र अयोध्या प्रसाद निवासी ग्राम राजा का पुरवा धरौली थाना अंतू जनपद प्रतापगढ़ उम्र करीब 30 वर्ष को थाना अन्तू क्षेत्रान्तर्गत शिवाला तिराहा से पीठीपट्टी मोड प्रतापगढ़ से गिरफ्तार किया गया है।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण-

01.जवाहर लाल विश्वकर्मा पुत्र अयोध्या प्रसाद निवासी ग्राम राजा का पुरवा धरौली थाना अंतू जनपद प्रतापगढ़ उम्र करीब 30 वर्ष।

बरामदगी- 01 अदद डंडा, 01 अदद मोबाइल

पुलिस टीम का विवरण-

उ0नि0 रविंद कुमार यादव मय हमराह का0 अवधेश यादव व का0 अंकित यादव, का0 कन्हैया विश्वकर्मा थाना अन्तू, जनपद प्रतापगढ़।